

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/3/20	<p>वकूलाय उपर  अधिवक्ता अध्यायगिण सं. 2 से 4 की ओर से उपरुक्त  जज के अतिरिक्त अन्य 148 CPC की प्रति अधिवक्ता  अध्यायगिण को दिखाने में सक्षम है। वकूलाय कक्ष  दरम्यान 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त  वक्ता के अतिरिक्त अन्य 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त  वक्ता के अतिरिक्त अन्य 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त  वक्ता के अतिरिक्त अन्य 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त</p> <p style="text-align: right;">AC Sojani</p>
16/9/20	<p>वकूलाय उपर।  अधिवक्ता अध्यायगिण सं. 2 से 4 की ओर से उपरुक्त  जज के अतिरिक्त अन्य 148 CPC की प्रति अधिवक्ता  अध्यायगिण को दिखाने में सक्षम है। वकूलाय कक्ष  दरम्यान 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त  वक्ता के अतिरिक्त अन्य 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त  वक्ता के अतिरिक्त अन्य 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त</p> <p style="text-align: right;">AC Sojani</p>
24/9/20	<p>वकूलाय उपस्थित।  आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/  अवकाश पर हैं। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 08/10/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">रीडर  उप खण्ड अधिकारी एवं उप  खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p>
8/10/20	<p>वकूलाय उपस्थित।  आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/  अवकाश पर हैं। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 08/10/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">रीडर  उप खण्ड अधिकारी एवं उप  खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p>
5/11/2020	<p>वकूलाय उपर  अधिवक्ता अध्यायगिण सं. 2 से 4 की ओर से उपरुक्त  जज के अतिरिक्त अन्य 148 CPC की प्रति अधिवक्ता  अध्यायगिण को दिखाने में सक्षम है। वकूलाय कक्ष  दरम्यान 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त  वक्ता के अतिरिक्त अन्य 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त  वक्ता के अतिरिक्त अन्य 148 CPC सुनी गई। उपरुक्त</p> <p style="text-align: right;">रीडर  उप खण्ड अधिकारी एवं उप  खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p>

सुपरीमाथ

उप खण्ड अधिकारी  
सोजत (जिला-गांधी) एच





के दौरान अधिवक्ता उर्ध्वगण ने दफ्तर डा. पठ प्रत्येक  
निवेद्यता जारी किये जाने की इच्छा प्रकट की है। जिसके  
जवाब में अधिवक्ता उर्ध्वगण ने डा. पठ को  
किये जाने की इच्छा प्रकट की है।

परापूर्वी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया  
अधिवक्ता मय उर्ध्वगण ने उक्त प्रथम पक्ष मय -  
प्राप्य - पठ एवं दरहोवेजात, जवाब उर्ध्वगण - उर्ध्व-  
गण मय अधिवक्ता संख्या 2 के 4 मय दरहोवेजात  
का महत्ता पूर्वक अध्ययन किया गया। उक्त डा. पठ  
व्युत्पन्न पर नौर कर मनन किया गया। उक्त  
अधिवक्ता मय उर्ध्वगण इस डा. पठ में विवेक  
विकासपूर्वक कृषि के आवंटन, मालिक पश्चात् कर्मचारी,  
पश्चात्कर्तों में दर्ज हुए उर्ध्वगण/उर्ध्वगण के पिता  
के नाम का अंश तत्पश्चात् वर्धमान खोलेफाट व.न.  
436 एवं कृषि कायदे के अंतर्गत तयों का अर्थवाद  
में बाद सार्य स्मृत के दरहोवेजात ऑफ का विवेचन/  
पिश्लेक पश्चात् विवेचन किया जायेगा। तथापि वर्धमान  
परिस्थिति में अधिवक्ता उर्ध्वगण द्वारा उक्त डा. पठ के  
योग्य होने से खोलेफाट किया जाना तथा खोलेफाटिय  
में स्थित कृषि कृषि विकासपूर्वक व.न. 436 स्कूल  
0=4000 हेक्टर का मय डिप्री कोलेयान एवं  
अन्य छहहत्तर आदि कृषि से संबंधित तथा  
वर्धमान में की धाराधरि (Statute Law) को  
संबंधित उर्ध्वगण को जारीये प्रत्येक निवेद्यता  
बाद निर्णय लक्ष पावन किया जाना उचित समझे है।

-!! आदेश !!-

अतः अद्य निवेद्यता बख्त उर्ध्वगण विरुद्ध  
उर्ध्वगण एवं आदेश की जारी की जाती है कि  
असद मेमबर - खोलेफाट में स्थित कृषि कृषि का  
नं. 436 स्कूल 0=4000 हेक्टर का. दो कृषि का  
अन्य डिप्री को लेयान एवं अन्य छहहत्तर आदि  
कृषि से संबंधित की धाराधरि (Statute Law) को  
संबंधित बख्त वाप सेवेक लक्ष उर्ध्वगण के पावन किया  
जाता है। परापूर्वी उर्ध्वगण कृषि के अंतर्गत से कृषि  
है। नगर कृषि लक्ष उर्ध्वगण मय वापके साथ  
नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी  
बोबत (बिना-यात्री) राब.

निर्णय आज दिनांक 5/11/2020 को प्रेरे दस सिक्काया  
कायद स्टैल - दयाधर में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
बोबत (बिना-यात्री) राब.

